न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः–25/2021 दायर दिनाँक 26.10.2021

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
1. मुकारब खॉ पुत्र अलीम खॉ, उम्र 62 वर्ष, जाति कायमखानी, निवासी छापरी खुर्द, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. फैज मोहम्मद पुत्र मांगु खॉ 2. यासीन खॉ पुत्र मांगु खॉ, 3. सलेम खॉ पुत्र भोलु खॉ, 4. समदर खॉ पुत्र भोलु खॉ, समस्त जाति कायमखानी, निवासी छापरी खुर्द, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।

प्रार्थना–पत्र
अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा एडवोकेट वकील प्रार्थी।
2. श्री शोकत अली खॉ वकील अप्रार्थी (फेज मोहम्मद व यासिन खॉ)

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 28.02.2022

संक्षेप में प्रार्थी की प्रार्थना इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 455/225 रकबा 2.3850 हैक्टे0, पटवार हल्का छापरी खुर्द, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र निम्बी कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज. में अवस्थित है, जो की प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत है। प्रार्थी ने अपने खेत में आने जाने हेतु रास्ते के लिये आवेदन किया है, खेत खसरा संख्या 231 रकबा 3.2600 हैक्टे0, खसरा संख्या 230 रकबा 0.4800 हैक्टे0, खसरा संख्या 229 रकबा 2.1200 हैक्टेयर मौजा छापरी खुर्द में से वर्तमान में प्रार्थी के खेत तक पहुंचने हेतु कोई कटाणी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही है। जिस हेतु नये कट्टाणी रास्ते के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) उपधारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमती लेना चाहता है।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अप्रार्थी फैज मोहम्मद व यासीन खॉ ने जरिये अधिवक्ता के दिनॉक 06.12. 2021 को जबाब पेश किया, जबाब शामिल मिशल किया गया, अन्य अप्रार्थीगण बावजुद तामिल के गैर हाजिर है।

प्रकरण में तहसीलदार, डीडवाना [illegible] ली गई। तहसीलदार डीडवाना ने अपनी [illegible]/2021/[illegible]88 दिनांक 11.11.2021 के अनुसार आवेदक के खेत खसरा [illegible] 455/225 रकबा 2.3850 हैक्टे0 भूमि में कोई कटाणी रास्ता नहीं लगता है, आवेदक को अपने खेत में आने जाने हेतुं रास्ते की आवश्यकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

आवेदक के खेत खसरा सं0 455/225 के सबसे नजदीक कटाणी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा सं0 231, 230, 229 मौजा छापरी खुर्द के पूर्वी सिमा के सहारे– सहारे कुल लम्बाई 322 मीटर X 5 मीटर चौड़ाई = 1610 वर्ग मीटर बनता है।

बहस सुनी गयी, पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने खेत खसरा संख्या 455/225 में आने जाने के लिये रास्ते हेतु आवेदन किया है, जिसकें जबाब में अप्रार्थीगण ने खेत खसरा संख्या 455/225 में आने जाने के लिये अपने खेतो के अलावा अन्य रास्ता होने का जबाब में उल्लेख किया है, लेकिन इस बाबत कोई भी दस्तावेज अप्रार्थीगण ने पेश नहीं किया है, ना ही राजस्व रेकर्ड में इस बाबत कोई उल्लेख है।

तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व अप्रार्थी के खेत खसरा न. 231, 230, 229 की पूर्वी सिंव मार्क **ABCD** प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा सं0 455/225 रकबा 2.3850 हैक्टे0 मौजा छापरी खुर्द में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/888 दिनाँक 11.11.2021 में दर्शित भूमि अप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 231, 230, 229 वाके सरहद छापरी खुर्द में दर्शित मार्क **ABCD** कुल 1610 वर्ग मीटर भूमि रास्ता हेतु घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करने से पूर्व रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ते की भूमि का नियमानुसार प्रभावित खातेदारान् को भूगतान करावे। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट पत्रांकः रीडर/2021/888 दिनाँक 11.11.2021 निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 28.02.2022 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:16:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner